

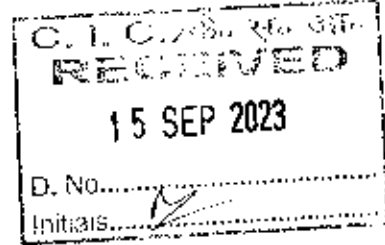
केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/P/23/00464

दिनांक. 14.09.2023

सेवा में,

श्री दीपकभाई के. शाह
At 173 नई हाउसिंग सोसाइटी
B / H भाईस कॉलेज
सुरेंद्रनगर - 363 001



विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना।

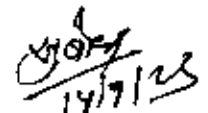
महोदय/महोदया,

उक्त विषयक आपका दिनांक 17.08.2023 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें।

Annex - 1 बिंदु सं. 1	वांछित सूचना हेतु सूचना कृ अधिकार अधिनियम जो कि आयोग की वेबसाईट 2005 के लिंक https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf सहित पब्लिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध है, का अवलोकन करें। इसके अतिरिक्त कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
Annex - 1 बिंदु सं. 2	केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा अपने आदेश की गमीक्षा करने का प्रावधान नहीं है।
Annex - 1 बिंदु सं. 3	द्वितीय अपील की सुनवाई अपीलकर्ता के नजदीकी NIC सेंटर के माध्यम से की जाती है।
Annex - 2 बिंदु सं. 1	केन्द्रीय सूचना आयोग की भाषा केवल अंग्रेजी और हिंदी ही है।
Annex - 2 बिंदु सं. 2	वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।
Annex - 2 बिंदु सं. 3	द्वितीय अपील की सुनवाई अपीलकर्ता के नजदीकी NIC सेंटर के माध्यम से की जाती है।

राज्य सूचना आयोग से सम्बंधित सूचना के लिए राज्य सूचना आयोग से संपर्क करे।

यदि आप उपरोक्त सूचना में संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्रीमती रूप अवतार कौर, प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 को की जा सकती है।


(सुबोध कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690